

नगर निगम शिमला

आयुक्त आदेश न०.....517(CAP)

दिनांक.....7-10-14

प्रार्थी प्रैजीडेंट टेजरर सोसाईटी, पैरामाउंट पब्लिक स्कूल ऐजुकेशन सोसाईटी, एच.बी० कालौनी संजौली शिमला में स्थित अपने चार मंजिला + पार्किंग स्कूल भवन का सम्पूर्ण नक्शा स्वीकृति हेतु इस विभाग में दर्ज किया है।

प्रार्थी द्वारा दर्ज किया गया नक्शा नगर निगम भवन उप-विधि के अनुसार सही पाया गया है। प्रार्थी द्वारा भवन में प्रदान की गई स्वीकृति से अधिक निर्माण कार्य किया गया जिसकी कम्पाउंडिंग फीस राशि/-₹4,80,797/- (चार लाख अस्सी हजार सात सौ सतानवे ₹) केवल रसीद न० 451182 दिनांक 08.09.2014 को निगम कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अतः सिंगल अम्ब्रेला कमेटी की 39वीं बैठक दिनांक 27.08.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार इस विभाग द्वारा निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है:-

1. यह भवन शिमला योजना क्षेत्र के "Restricted Area" में पड़ता है तथा किसी भी प्रकार के चेंज ऑफ लैण्ड यूज/बिल्डिंग यूज हेतु आयुक्त, नगर निगम शिमला से पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2. Sanction is granted subject to the final decision in CWP No.4595/2011 titled as Rajeev Verma & others v/s State of H.P. pending before the Hon'ble High Court

वास्तुक योजनाकार,
नगर निगम शिमला।

क्रमांक.एम०सी०एस०/ए०पी०/17/ए०पी०डी०/12-7010 दिनांक.....7-10-14

-12

प्रतिलिपि:-

1. प्रैजीडेंट टेजरर सोसाईटी, पैरामाउंट पब्लिक स्कूल ऐजुकेशन सोसाईटी, एच.बी० कालौनी संजौली शिमला, हि०प्र० को नक्शे की स्वीकृति प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है।
2. क० अभियन्ता नक्शे की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है।
3. आयुक्त आदेश पुस्तिका।

वास्तुक योजनाकार,
नगर निगम शिमला।